कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध–मण्डल की 43वीं बैठक दिनांक 10.11.2022

कार्यवृत

प्रबन्ध–मण्डल की 43वीं बैठक दिनांक 10.11.2022 को अपराह्न 12:15 बज़े विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही:–

प्रो0 नीलिमा सिंह — अध्यक्ष
माननीया कुलपति महोदया,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2. **श्री लोकेन्द्र सिंह,** कोषाधिकारी, कोटा — सदस्य
सचिव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयुपर
के द्वारा नामित सदस्य के प्रतिनिधि

3. **डॉ. शिवदत्त** (Online) — सदस्य
नामित सदस्य, सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार,
जयपुर

4. **प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत** — सदस्य
कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

5. **प्रो. मनोरंजन शर्मा** — सदस्य
कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

6. **श्रीमती इन्द्रा मीणा** — सदस्य
माननीय विधायक, बामनवास, सवाई माधोपुर
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

7. **डॉ. एकता धारीवाल** — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्

8. **डॉ. जगदीश प्रसाद सैनी** (Online) — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्

9. **डॉ. संजय भार्गव** — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित प्राचार्य

10. **डॉ. राजवन्त सन्धु** — सदस्य
प्राचार्य, प्रगति शिक्षण प्रशिक्षक महाविद्यालय, कोटा
राज्य सरकार द्वारा नामित निजी महाविद्यालय, प्राचार्य

11. प्रो. रीना दाधीच — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

12. डॉ. के.के. शर्मा — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता

13. डॉ. अनिता सुखवाल — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता

14. श्रीमती पूनम मेहता — विशेष आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक

15. डॉ0 आर.के. उपाध्याय — सदस्य सचिव
कुलसचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं श्री पानाचंद मेघवाल, माननीय विधायक, अटरू जिला बारां बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, जबकि डॉ. शिवदत्त, नामित सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, जयपुर तथा डॉ. जे.पी. सैनी, ऑनलाइन माध्यम से अंतिम क्षणों (Last moment) में बैठक में सम्मिलित हुए। जिस पर सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों ने विरोध भी दर्ज किया।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीया कुलपति द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :–

मद संख्या–1	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.01.2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना। साथ ही विश्वविद्यालय पत्रांक 5681 दिनांक 16.08.2022 द्वारा Circulation के माध्यम से अनुमोदित, विश्वविद्यालय प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की पुष्टि करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.01.2022 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय पत्रांक 5681 दिनांक 16.08.2022 द्वारा Circulation के माध्यम से अनुमोदित, विश्वविद्यालय प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की पुष्टि की गई।
मद संख्या–2	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.01.2022 व 16.08.2022 (Online) में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.01.2022 व 16.08.2022 (Online) में लिये गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–3	:	**विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.12.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.12.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–4	:	**1. वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 28.03.2022 का कार्यवाही विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान का अनुमोदन करना।** **2. बजट प्रावधान 2022–23 के Major Budget Head-22 Capital Expenditure के Sub Minor Head-(i)-Construction works के Detail Head- (j) Auditorium के 1000.00 लाख में से 90.00 लाख तात्कालिक आवश्यकतानुसार प्रत्याहारित करके इसी के Detail Head-(ac) Life Science Department Building में 90.00 लाख स्थानांतरित किये किए जाने संबंधी निर्णयों की पुष्टि की गई। उक्त निर्णय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	1. वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 28.03.2022 का कार्यवाही विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान को अनुमोदित किया गया। 2. बजट प्रावधान 2022–23 के Major Budget Head-22 Capital Expenditure के Sub Minor Head-(i)-Construction works के Detail Head- (j) Auditorium के 1000.00 लाख में से 90.00 लाख तात्कालिक आवश्यकतानुसार प्रत्याहारित करके इसी के Detail Head-(ac) Life Science Department Building में 90.00 लाख स्थानांतरित किये किए जाने संबंधी निर्णयों की पुष्टि की गई।
मद संख्या–5	:	**निरीक्षण मण्डल (Board of Inspection) की दिनांक 14.03.2022 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	निरीक्षण मण्डल (BOI) की दिनांक 14.03.2022 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–6	:	**विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 11.04.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 11.04.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल की व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अनुमति पर विमर्श हुआ, जिसमें पेयजल व्यवस्था हेतु बीएसआर 2022 संशोधित हो जाने के फलस्वरूप जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार से पूर्व में प्राप्त

		तकमीने की अनुमानित राशि रू. 880.80 लाख के स्थान पर संशोधित दरों के अनुरूप अनुमानित राशि रू. 1080.62 लाख की हो जाने के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया। अतः जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त संशोधित प्रस्तावित राशि रू. 1080.60 लाख उक्त कार्य हेतु स्वीकृत करने की अनुमति प्रबंध मंडल द्वारा इस आशय के साथ प्रदान की गई कि, उक्त बाबत प्राप्त संशोधित प्रस्तावों को विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति में भी रखा जावे।
मद संख्या–7	:	**खेल मण्डल की बैठक दिनांक 06.07.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	खेल मण्डल की बैठक दिनांक 06.07.2022 के कार्यवृत अनुमोदित किए गए। विश्वविद्यालय के मेजर ध्यानचंद खेल संकुल में Accoustic Sound System के installation (Electric व Sound System) हेतु 400 लाख के बजट प्रावधान को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–8	:	**प्रो. आशु रानी के डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में कुलपति पद पर कार्यग्रहण करने हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 7503–7511 दिनांक 30.09.2022 को रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	प्रो. आशु रानी के डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में कुलपति पद पर कार्यग्रहण करने हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 7503–7511 दिनांक 30.09.2022 की पुष्टि की गई।
मद संख्या–9	:	**विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबंध मण्डल सदस्यों में से किसी एक सदस्य का नाम निर्देशित किया जाना।**
निर्णय	:	प्रो. रीना दाधीच, कम्प्यूटर साईंस व इन्फोर्मेटिक्स विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या–10	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत, 06 संविदाकर्मियों की सेवा अवधि में दिनांक 01.07.2022 से प्रबंध मण्डल की बैठक होने तक की अवधि के लिए की गयी अभिवृद्धि सम्बन्धी आदेशों की पुष्टि करवाने हेतु इन्हीं संविदा कर्मियों की सेवा अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत, 06 संविदाकर्मियों की सेवा अवधि में दिनांक 01.07.2022 से प्रबंध मण्डल की बैठक होने तक की अवधि के लिए की गयी अभिवृद्धि सम्बन्धी आदेशों की पुष्टि की गई। साथ ही संविदा कर्मियों की सेवा अवधि में आगामी एक वर्ष तक के लिए अभिवृद्धि करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इसी क्रम में उक्त संदर्भित संविदाकर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षो से प्रदान की जा रही सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुये

		विश्वविद्यालय में उन्हें नियुक्ति प्रदान किये जाने संबंधी विषय पर विमर्श हुआ, जिसमें उक्त कर्मियों की शैक्षणिक योग्यताओं एवं अन्य अर्हताओं को दृष्टिगत रखते हुये अपनी अनुशंषाएं प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किये जाने तथा गठित समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में करवाकर, उक्त कर्मियों को संबंधित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने संबंधी निर्णय लिया गया। उक्त संदर्भित समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
मद संख्या–11	:	**विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मियों को दिये जाने वाले मासिक मानेदय में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत वृद्धि सम्बन्धी निर्णय पुनः विचारार्थ :–**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मियों को दिये जाने वाले मासिक मानेदय में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत वृद्धि करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.04.2021 के मद सं. 4.4 द्वारा लिये गये निर्णय पर पुनः विचार किया गया। बैठक में विमर्श पश्चात्, उक्त कार्मिकों के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि संबंधी विगत निर्णय को स्थगित किया गया तथा विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा संविदाकर्मियों के मासिक मानदेय को संशोधित किये जाने के संबंध में घोषणा की गई है। उक्त बाबत् राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये, इस विश्वविद्यालय में कार्यरत उक्त संदर्भित संविदाकर्मियों को उनकी संविदा सेवा अवधि के अनुरूप स्थिर मासिक मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया।
मद संख्या–12	:	**प्रदेश में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजकीय उपक्रमों/स्वशासी निकायों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना में मासिक कटौती नहीं करने सम्बन्धी आदेशों को कोटा विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर लागू करने के सम्बन्ध मे।**
निर्णय	:	प्रदेश में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजकीय उपक्रमों/स्वशासी निकायों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना में मासिक कटौती नहीं करने सम्बन्धी आदेशों को कोटा विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर लागू करने सम्बन्धी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी होने वाले आदेशों को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–13	:	**राज्य सरकार द्वारा जारी निम्नांकित अधिसूचनाओं को विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव :–** 1. कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–2/2020 दिनांक 04.02.2022 के

		द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, परिवीक्षा की दो वर्ष की कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर छः माह के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो उन्हें स्थायी माने जाने का हकदार होने सम्बन्धी प्रावधानों को राज्य के विभिन्न सेवाओं के लिए दिनांक 20.01.2006 प्रवृत्त किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) जिन्हें अंगीकृत कर विश्वविद्यालय कार्मिकों पर भी उक्त अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि से लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। 2. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक No.-F.11(7)FD/Rules/2008 Pt.-III dated 13-10-2021 से Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, के नियम 22 में दिनांक 01.01.2006 से संशोधन किया गया है, (छायाप्रति संलग्न) जिन्हें अंगीकृत कर विश्वविद्यालय कार्मिकों पर भी उक्त अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि से लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	1. कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–2/2020 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, परिवीक्षा की दो वर्ष की कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर छः माह के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो उन्हें स्थायी माने जाने का हकदार होने सम्बन्धी प्रावधानों को राज्य के विभिन्न सेवाओं के लिए दिनांक 20.01.2006 प्रवृत्त किया गया है जिन्हें प्रबन्ध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों पर उक्त अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इस विश्वविद्यालय में 2013 में नियुक्त हुये कार्मिकों के संबंध में विमर्श हुआ, जिनका स्थायीकरण का मामला 2015 में स्थगित किया गया क्योंकि इन सभी की नियुक्ति का प्रकरण ए.सी.बी. में विचाराधीन था। जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा अवगत करवाया गया कि यदि उक्त कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके कार्य एवं व्यवहार के संबंध में कोई नोटिस इत्यादि नहीं दिया गया है तो उक्त कार्मिक स्वतः स्थायी हो जाता है किन्तु वर्ष 2013 में नियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति संबंधी प्रकरण में ए.सी.बी. ने एफ.आर. न्यायालय में लगा दी है जिस पर अंतिम निर्णय आना बाकी है। अतः उक्त कार्मिकों के स्थगित किये गये स्थायीकरण के आदेश को प्रत्याहरित करते हुये स्थायीकरण आदेश ए.सी.बी. के निर्णय के अध्यधीन सशर्त जारी किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया। 2. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक No.-F.11(7)FD/Rules/2008 Pt.-III dated 13-10-2021 से Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, के नियम 22 में दिनांक 01.01.2006 से संशोधन किया गया है,

		जिन्हें अंगीकृत कर विश्वविद्यालय कार्मिकों पर भी उक्त अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि से लागू किये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया।
मद संख्या–14	:	**विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्य व व्याख्याताओं के चयन हेतु विश्वविद्यालय परिनियम 26(5) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पैनल में से प्राचार्य व व्याख्याता चयन हेतु साक्षात्कार बैठक में तीन शिक्षाविदों की उपस्थिति बाबत् जारी विश्वविद्यालय पत्रांक 13097 दिनांक 31.03.2022 व 1520 दिनांक 11.05.2022 क्रमशः को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्य व व्याख्याताओं के चयन हेतु विश्वविद्यालय परिनियम 26(5) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पैनल में से प्राचार्य व व्याख्याता चयन हेतु साक्षात्कार बैठक में तीन शिक्षाविदों की उपस्थिति बाबत् जारी विश्वविद्यालय पत्रांक 13097 दिनांक 31.03.2022 व 1520 दिनांक 11.05.2022 क्रमशः को प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुष्टि की गई।
टेबल एजेण्डा 1	:	**विश्वविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षा निदेशकों को सीएएस (CAS) स्वीकृति पर मौद्रिक (नकद) लाभ पात्रता तिथि से दिये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों को लागू करने बाबत् :–**
निर्णय	:	उक्त संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1(6)Edu-4/2010 part II dated 25-05-2022 को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में अंगीकृत/लागू करने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इसी क्रम में अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय-प्रबंध मण्डल सदस्य ने विश्वविद्यालय शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन को सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कोटा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति सशर्त सीएएस पदोन्नति प्रदान करने हेतु प्रबंध मंडल से निवेदन किया गया। उक्त संबंध में बैठक के दौरान विस्तृत विचार–विमर्श हुआ, जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा प्रासंगिक प्रकरण में शिक्षकों के कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी विभागीय जांच लम्बित नहीं होने एवं निर्धारित वांछित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अर्हताएं पूर्ण करने, राज्य सरकार पर सीएएस पदोन्नति का वित्तीय भार नहीं होने, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों यथा–जेएनवीयू, जोधपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में उक्त प्रकृति के प्रकरण में प्रदान किये गये सीएएस पदोन्नति प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये सीएएस पदोन्नति प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारंभ करने की सहमति प्रदान की गई। प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों को सीएएस पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में व्यक्त उक्त सहमति पर दो माननीय सदस्यों ने अपना Note of descent दिया। इसी क्रम में चर्चानुसार ए.सी.बी. ने चूंकि एफ.आर. न्यायालय में लगा दी है जिस पर उचित निर्णय आना बाकी है। उक्त स्थितियों के मध्यनजर प्रबंध मंडल द्वारा इस संबंध में माननीय

		न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के अध्यधीन सशर्त/शपथ पत्र प्राप्त कर सीएएस पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
टेबल एजेण्डा 2	:	**ब्रिक्स 2.0 परियोजना के तहत् कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित की जानी है। उक्त संगोष्ठी विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के सहयोग से आयोजित होनी प्रस्तावित है। उक्त संगोष्ठी (कॉन्फ्रेस) के लिए 18–20 लाख का व्यय होने की संभावना है। उक्त संगोष्ठी की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए 18–20 लाख के बजट की स्वीकृति चाहने बाबत् प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	उक्त मद में प्रस्तावित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों के लिए राशि रू. 10.00 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों के लिए राशि रू. 15.00 लाख की सीमा निर्धारित की गई किन्तु विशेष परिस्थितियों में कार्य योजना विशेष के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त निर्धारित वित्तीय सीमा को समय–समय पर बढ़ाये जाने संबंधी निर्णय लिया गया।
टेबल एजेण्डा 3	:	**विश्वविद्यालय के अनुबंधित सनदी लेखाकार द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की वर्ष 2021–22 की प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय के अनुबंधित सनदी लेखाकार द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की वर्ष 2021–22 की प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–15	:	**अन्य मद कुलपति की अनुमति से।** i. विश्वविद्यालय परिसर पठारी क्षेत्र में होने के कारण विभिन्न स्थानों पर हो रहे गहरे गढ्ढों को शहर से निकाले जा रहे मलवे से नगर निगम कोटा के माध्यम से निःशुल्क भरवाये जाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी माननीय सदस्य के सुझावों का अनुमोदन किया गया किन्तु उक्त मलवे को रोलर के माध्यम से व्यवस्थित करवाने संबंधी कार्य विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा किया जाना है।

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(प्रो. नीलिमा सिंह)
कुलपति
एवं अध्यक्ष

(डॉ. आर.के. उपाध्याय)
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव